न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :— प्रीति मीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं0——71/2020

प्रविष्टि दिनांक——12.10.2020

तहसीलदार (भूमिधारी) निवाई

वादी

बनाम

अहमद हुसैन पुत्र गुलाम हुसैन जाति मुसलमान निवासी—प्लॉट न0 12 नानगी का चौराहा, बास बदनपुरा (जयपुर)

प्रतिवादी

उपस्थित :—पेरोकार सरकार

दावा बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राज0 टीनेन्सी एक्ट

यह कि वाद के सार रूप से तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नं. 763/2 रकबा 3 बीघा 2 बीस्वा ग्राम सजिया में स्थित है। जो वर्तमान में प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। (नकल जमाबन्दी परिशिष्ट एक संलग्न है) उपरोक्त खसरा न की भूमि की किस्म बारानी 3 है जो स्वीकृत लगान दर पर कृषि प्रयोजन हेतु प्रतिवादी को टिनेंट की हैसियत से राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की गई है। जिसका प्रतिवादी के द्वारा कोई भी अकृषि प्रयोग सर्वथा वर्जित है। प्रतिवादी ने उपरोक्त कृषि भूमि जो ग्राम सजिया की सीमा में है, का कृषि प्रयोग रोक दिया गया है तथा उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी द्वारा कच्ची मिटटी की सडके आदि बनाकर अकृषि प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है तथा ऐसा करने से पूर्व प्रतिवादी द्वारा विधिवत सम्परिवर्तन आदि की कार्यवाही नहीं की है ना ही सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त की गई है लिहाजा प्रतिवादी की उक्त कार्यवाही अवैध व गैर कानूनी है। वादग्रस्त आराजी कच्ची मिटटी की सडके आदि बनाकर अकृषि प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है, जिससे प्रतिवादी के उक्त कृत्य के लिए उसके विरुद्ध धारा 90 ए एल.आर. एक्ट की कार्यवाही की गई तथा न्यायालय तहसीलदार (वादी) के प्रकरण संख्या 63/2014 में निर्णय दिनांक 18.08.2020 के द्वारा प्रतिवादी को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। (निर्णय की प्रति परिशिष्ट 2 है) धारा 90 ए सपठित धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही के दौरान रहा। नोटिस मुकाम पर चस्पा भी किये गये। प्रतिवादी न्यायालय तहसीलदार के समक्ष अनुपस्थित रहा किन्तु पटवारी रिपोर्ट के आधार पर धारा 90 ए का प्रकरण दर्ज होने के लम्बे समय के उपरान्त भी रूपान्तरण सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है ना ही रूपान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने और ना ही रूपान्तरण शुल्क जमा करवाने की सूचना दी गई है। वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी खातेदारान द्वारा कृषि भिन्न उपयोग करने तथा काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघन करने के कारण धारा 175, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों का अवसान होकर भुमि राज्य सरकार के हक में समपृहत होने योग्य है। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी पूर्वोक्त पैराज में वर्णित कारणों से अपना स्वामित्व खो चुके है तथा प्रतिवादी का उक्त वादग्रस्त आराजीयात को बहसियत खातेदार धारण करने का अधिकार समाप्त हो चुका। प्रतिवादी ने टिनेंसी की शरायत की अवहेलना की है लिहाजा प्रतिवादी की खातेदारी समाप्त की जावे तथा कब्जा वादी को सुपुर्द करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज करना आवश्यक है। दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 763/2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा ग्राम सजिया के खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी (टोंक)

अधिकार समाप्त किये जाकर वादग्रस्त आराजी राज्य सरकार के खाते में दर्ज करने के आदेश किये जावें।

आवेदन अन्तर्गत धारा 177 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बाद तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण सन् 2020 में दर्ज होने से प्रकरण में वर्णित आराजियात की वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निवाई के पत्रांक 235 दिनांक 9.3.2026 से रिपोर्ट प्राप्त जिसमें अंकितानुसार वाके ग्राम सजिया में स्थित भूमि खसरा नम्बर 763/2 रकबा 0.9232 हैक्टेयर पर वर्तमान में ग्रेवल रोड़ डालकर आवासीय कॉलोनी विकसित की गई है। उक्त खसरा नम्बर कृषि भूमि है एवं वर्तमान में अकृषि में उपयोग में ली जा रही है।

प्रकरण में पेरोकार सरकार की एकतरफा बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 763/2 पर बिना किसी विधिक स्वीकृति के अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में माननीय न्यायालय तहसीलदार निवाई द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 90 ए के तहत निर्णय पारित कर माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण आज दिनांक तक माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है एवं प्रकरण में लगभग 06 वर्ष का समय व्यतित हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक तक भी भूमि सम्परिवर्तन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे राजस्व हानि एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवहेलना की है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि माननीय न्यायालय तहसीलदार निवाई से प्राप्त आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर विवादग्रस्त आराजियात को सिवायचक दर्ज करने एवं कब्जे राज लेने के आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध निर्णय दिनांक 18.08.2020 न्यायालय तहसीलदार निवाई के अवलोकन एवं वर्तमान मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 763/2 वाके ग्राम सजिया की किस्म बारानी 3 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिस पर ग्रेवल रोड़ डालकर आवासीय कॉलोनी विकसित की गई है। वर्तमान में भी अकृषि कार्य उपयोग में आ रही है। अप्रार्थीगण बाद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है ना ही आदिनांक तक किसी तरह का कोई आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त आराजियात पर गैर कानूनी व अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की गई है। जिससे तहसीलदार निवाई से प्राप्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में तहसीलदार निवाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादग्रस्त आराजियात ख0नं0 763/2 रकबा 0.9232 हैक्टेयर वाके ग्राम सजिया पटवार हल्का गुन्सी तहसील निवाई को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें तथा नियमानुसार भौतिक रूप से कब्जाराज लेकर बेदखली की कार्यवाही करे।

निर्णय आज **दिनांक** 10/3/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई